



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 14 फरवरी, 2007

माघ 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या 107/22-1-2007-107/97

लखनऊ दिनांक, 14 फरवरी, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-14

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सह: सम्बन्धित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सह:सम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007

भाग-एक सामान्य

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सह: सम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सह: सम्बन्धित सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह-"ग" के पद समाविष्ट हैं।

भाषाएं

3-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कारागार महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश से है ;

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए ;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों " का तात्पर्य समय-समय पर यंथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है ;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय आशुलिपिक और सह: सम्बन्धित सेवा से है ;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा का सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है।

मुख्यालय संवर्ग

| क्रम- संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | | |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------|-----|
| | | स्थाई | अस्थाई | योग |
| 1 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | — | 01 | 01 |
| 2 | प्रशासनिक अधिकारी | 01 | — | 01 |
| 3 | कार्यालय अधीक्षक | 08 | — | 08 |
| 4 | वरिष्ठ सहायक | 23 | 01 | 24 |
| 5 | वरिष्ठ लिपिक | 22 | — | 22 |
| 6 | कनिष्ठ लिपिक/टंकक | 40 | 01 | 41 |

जेल संवर्ग

| | | | | |
|---|------------------------------|-----|----|-----|
| 1 | वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय जेल) | 05 | — | 05 |
| 2 | वरिष्ठ लिपिक | 50 | — | 50 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक/टंकक | 109 | 10 | 119 |

राजकीय जेल उद्योग डिपो

| | | | | |
|---|-------------------|----|---|----|
| 1 | प्रबन्धक जेल डिपो | 01 | — | 01 |
| 2 | बिक्री कर्ता | 01 | — | 01 |

आशुलिपिक सम्बर्ग

| | | | | |
|---|-------------------------|----|----|----|
| 1 | वैयक्तिक सहायक ग्रेड-एक | 01 | — | 01 |
| 2 | वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो | 03 | — | 03 |
| 3 | आशुलिपिक ग्रेड-एक | 06 | — | 06 |
| 4 | आशुलिपिक ग्रेड-दो | 07 | 03 | 10 |

परन्तु:

(एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा ; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—

भर्ती का स्रोत

**क-कार्यालय महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश
मुख्यालय संवर्ग**

- 1-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 2-प्रशासनिक अधिकारी — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्यालय अधीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 3-कार्यालय अधीक्षक — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 4-वरिष्ठ सहायक — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 5-वरिष्ठ लिपिक — मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ लिपिक/टंकक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

- 6-कनिष्ठ लिपिक/टंकक - (एक) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (दो) बीस प्रतिशत, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के उपबन्धों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

ख-जेल संवर्ग

- 1-वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय जेल) - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 2-वरिष्ठ लिपिक - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ लिपिक/टंकक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 3-कनिष्ठ लिपिक/टंकक - (एक) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; (दो) बीस प्रतिशत, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के उपबन्धों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

ग-राजकीय जेल उद्योग डिपो

- 1-प्रबन्धक जेल डिपो - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे बिक्रीकर्ता और भण्डारी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
- 2-बिक्रीकर्ता - सीधी भर्ती द्वारा।

घ-आशुलिपिक संवर्ग

- 1-वैयक्तिक सहायक ग्रेड-एक - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो (वेतनमान रु० 5500-9000) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो के पद पर या आशुलिपिक संवर्ग में समकक्ष पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो या जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग में कुल पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 2-वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-एक (वेतनमान रु० 5000-8000) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक ग्रेड-एक के पद पर या आशुलिपिक संवर्ग में समकक्ष पद पर पाँच वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो या जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग में कुल बारह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 3-आशुलिपिक ग्रेड-एक - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-दो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक (वेतनमान रु० 4000-6000) के पद पर सात वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
- 4-आशुलिपिक ग्रेड-दो - सीधी भर्ती द्वारा।

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग-चार-अर्हतायें

7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्न शैक्षिक अर्हता अर्हताएँ होनी आवश्यक हैं :-

पद का नाम

अर्हतायें

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1-कनिष्ठ लिपिक/ टंकक | - | <p>(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</p> <p>(2) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।</p> <p>अधिमान : अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।</p> |
| 2-प्रबन्धक जेल डिपो | - | <p>(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।</p> |

- (2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग के विक्रय केन्द्र में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।
- (3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान।
- 3-बिक्रीकर्ता - (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग में विक्रय कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।
- (3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान।
- 4-आशुलिपिक ग्रेड-दो - (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- (2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।
- (3) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी0सी0सी0) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है;

या

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अधिमान : अंग्रेजी आशुलेखन और टंकण का ज्ञान।

अधिमान अर्हता

9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने परत कैडेट दो वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को नीचे दी गयी शर्तों में पद के विरुद्ध (विनिर्दिष्ट) न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम से अधिक आयु प्राप्त न की हो :-

| क्र०-सं० | पद का नाम | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|----------|--------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कनिष्ठ लिपिक/टंकक | 18 वर्ष | 35 वर्ष |
| 2 | बिक्रीकर्ता | 18 वर्ष | 35 वर्ष |
| 3 | आशुलिपिक श्रेणी-दो | 18 वर्ष | 35 वर्ष |
| 4 | प्रबन्धक जेल डिपो | 21 वर्ष | 35 वर्ष |

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतम आयु सीमा, उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा।

चरित्र

टिप्पणी :-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो;

वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13-किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें;

शारीरिक स्वस्थता

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये, अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

रिक्तियों का अवधारण

15-(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमन्त्रित किया जायेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16-(1) कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पद से भिन्न अन्य पद की पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पद से भिन्न अन्य पद की पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

टिप्पणी :-चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु जहां समान वेतनमान के दो भिन्न पोषक संवर्ग हों, वहाँ,—

(क) वेतनमान भिन्न होने पर उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा;

(ख) वेतनमान समान होने पर अभ्यर्थियों के नाम अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के मौलिक नियुक्ति का दिनांक समान हो तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी, जो आयु में ज्येष्ठ हों, को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

कनिष्ठ
लिपिक/टंकक पद
पर पदोन्नति द्वारा
भर्ती की प्रक्रिया

संयुक्त चयन सूची

17—कनिष्ठ लिपिक/टंकक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

18—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-छ:-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19—(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिस क्रम में वे, यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और एक संयुक्त चयन सूची नियम 18 के अनुसार तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20—(1) सेवा में प्रशासनिक अधिकारी के पद से भिन्न पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा और प्रशासनिक अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय प्रशासनिक अधिकारी पद से भिन्न अन्य पदों के सम्बन्ध में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और प्रशासनिक अधिकारी पद के सम्बन्ध में परिवीक्षा अवधि छः मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

स्थायीकरण

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन आदेश यह घोषणा करते हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22-सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

ज्येष्ठता

भाग-सात-वेतन इत्यादि

23-(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-

मुख्यालय संवर्ग

| क्र०-सं० | पद नाम | वेतनमान |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी | 6500-200-10500 रुपये। |
| 2 | प्रशासनिक अधिकारी | 5500-175-9000 रुपये। |
| 3 | कार्यालय अधीक्षक | 5000-150-8000 रुपये। |
| 4 | वरिष्ठ सहायक | 4500-125-7000 रुपये। |
| 5 | वरिष्ठ लिपिक | 4000-100-6000 रुपये। |
| 6 | कनिष्ठ लिपिक / टंकक | 3050-75-3950-80-4590 रुपये। |
| जेल संवर्ग | | |
| 1 | वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय जेल) | 4500-125-7000 रुपये। |
| 2 | वरिष्ठ लिपिक | 4000-100-6000 रुपये। |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक / टंकक | 3050-75-3950-80-4590 रुपये। |

राजकीय जेल उद्योग डिपो

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 | प्रबन्धक जेल डिपो | 4500-125-7000 रुपये। |
| 2 | बिक्रीकर्ता | 3050-75-3950-80-4590 रुपये। |

आशुलिपिक संवर्ग

| | | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| 1 | वैयक्तिक सहायक ग्रेड-एक | 6500-200-10500 रुपये। |
| 2 | वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो | 5500-175-9000 रुपये। |
| 3 | आशुलिपिक ग्रेड-एक | 5000-150-8000 रुपये। |
| 4 | आशुलिपिक ग्रेड-दो | 4000-100-6000 रुपये। |

परिवीक्षा अवधि में
वेतन

24-(1) फण्डामेंटल रूलस में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूलस द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25-किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का
विनियमन

26-ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में
शिथिलता

27-जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ;

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
जगजीत सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 107/XXII-1-2007-107/97 dated 14 February 2007:

No. 107/XXII-1-2007-107-97

Dated Lucknow, February 14, 2007

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Ministerial, Stenographer and Co-Related Service :

THE UTTAR PRADESH PRISON ADMINISTRATION AND REFORMS
DEPARTMENT MINISTERIAL, STENOGRAPHER AND CO-RELATED
SERVICE RULES, 2007

PART-1-GENERAL

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Ministerial, Stenographer and Co-Related Service Rules, 2007. Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. The Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Ministerial, Stenographer and Co-Related Service is a non-gazetted Service comprising Group "C" posts. Status of the Service

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context : Definitions

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) "appointing authority" means the Director General of Prison Administration and Reforms Service, Uttar Pradesh.

(c) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution.

(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission.

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) "member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(j) "Service" means the Uttar Pradesh Prison Administration and Reforms Department Ministerial, Stenographer and Co-Related Service;

(k) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules, and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(l) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The Strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given below :—

HEAD QUARTER CADRE

| Sl. No. | Name of Post | Number of Posts | | |
|---------|-------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| | | Permanent | Temporary | Total |
| 1 | Senior Administrative Officer | — | 01 | 01 |
| 2 | Administrative Officer | 01 | — | 01 |
| 3 | Office Superintendent | 08 | — | 08 |
| 4 | Senior Assistant | 23 | 01 | 24 |
| 5 | Senior clerk | 22 | — | 22 |
| 6 | Junior clerk/Typist | 40 | 01 | 41 |

JAIL CADRE

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----|----|-----|
| 1 | Senior Assistant (Central Jail) | 05 | — | 05 |
| 2 | Senior Clerk | 50 | — | 50 |
| 3 | Junior Clerk/Typist | 109 | 10 | 119 |

GOVERNMENT INDUSTRIAL JAIL DEPOT

| | | | | |
|---|--------------------|----|---|----|
| 1 | Manager Jail Depot | 01 | — | 01 |
| 2 | Salesman | 01 | — | 01 |

STENOGRAPHER CADRE

| | | | | |
|---|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | Personal Assistant Grade-I | 01 | — | 01 |
| 2 | Personal Assistant Grade-II | 03 | — | 03 |
| 3 | Stenographer Grade-I | 06 | — | 06 |
| 4 | Stenographer Grade-II | 07 | 03 | 10 |

Provided that :—

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III-RECRUITMENT

Source of
recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources :

A-OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF PRISON ADMINISTRATION AND REFORMS SERVICES, UTTAR PRADESH (HEAD QUARTER CADRE)

- (1) Senior Administrative Officer — By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Administrative Officers who have completed one year service as such on the first day of the year of recruitment.
- (2) Administrative Officer — By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Office Superintendents who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.

- (3) Office Superintendent - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Senior Assistants who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (4) Senior Assistant - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Senior Clerks who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (5) Senior Clerk - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Junior Clerk/Typist who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (6) Junior Clerk/Typist - (i) Eighty percent by direct recruitment.
- (ii) Twenty percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" employees in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group "C" Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001, as amended from time to time.

B-JAIL CADRE

- (1) Senior Assistant (Central Jail) - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Senior Clerks who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (2) Senior Clerk - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Junior Clerk/Typist who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment.
- (3) Junior Clerk/Typist - (i) Eighty percent by direct recruitment.
- (ii) Twenty percent by promotion from amongst substantively appointed Group "D" employees in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group "C" Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001, as amended from time to time.

C-GOVERNMENT INDUSTRIAL JAIL DEPOT

- (1) Manager Jail Depot - By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Salesman and Storekeeper who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment :
- Provided that if suitable persons are not available for promotion the post may be filled up by direct recruitment.
- (2) Salesman - By direct recruitment.

D-STENOGRAPHER CADRE

- (1) Personal Assistant – Grade-I – By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Personal Assistant Grade-II (Pay Scale Rs. 5500-9000) who have completed three years substantive service on the post of Personal Assistant, Grade II or on an equivalent post in the Stenographer Cadre on the first day of the year of recruitment or who have completed a total fifteen years substantive service in the Stenographer cadre on the first day of the year of recruitment.
- (2) Personal Assistant – Grade-II – By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Stenographers Grade-I (Pay Scale Rs. 5000-8000) who have completed five years substantive service on the post of Stenographer Grade-I or on an equivalent post in the Stenographer Cadre on the first day of the year of recruitment or who have completed a total twelve years substantive service in the Stenographer Cadre on the first day of the year of recruitment.
- (3) Stenographer Grade-I – By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Stenographer Grade-II who have completed seven years substantive service on the post of Stenographer (Pay Scale Rs. 4000-6000) on the first day of the year of recruitment.
- (4) Stenographer Grade-II – By direct recruitment.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART-IV QUALIFICATIONS**Nationality**

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government.

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the various categories of posts in the Service must possess the following qualifications :—

Academic
Qualification

NAME OF POST

QUALIFICATIONS

(1) Junior
Clerk/Typist

(1) Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(2) Must possess a minimum speed of 25 words per minute in Hindi type-writing.

Preferential : Knowledge of English typewriting.

(2) Manager Jail
Depot

(1) Bachelor's degree from a University established by law in India or a qualification recognised by the Government as equivalent thereto.

(2) Atleast five years experience of sales work in a Firm or at sales centre of a Government Department as an independent incharge.

(3) Working Knowledge of Hindi in Devnagri script.

(3) Sales man

(1) Must have passed the Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(2) At least three year's experience of sales work in a firm or a Government Department.

(3) Working knowledge of Hindi in Devnagri script.

(4) Stenographer
Grade II

(1) Must have passed the Intermediate examination of the board of High School and Intermediate Educaion, Uttar Pradesh or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(2) Must posses a minimum speed of 80 words per minute and 25 words per minute in Hindi Shorthand and Hindi typewriting respectively.

(3) Must have passed the Certificate Course in Computing (CCC) conducted by DOEACC society or a Computer Course recognised by the Government as equivalent thereto,

or

Must have passed the Computer Course conducted Educaion, Uttar Pradesh by the Board of High School and Intermediate or a course recognised by the Government as equivalent thereto.

Preferential :

Knowledge of English Shorthand and typewriting.

9. A candidate who has :

- (i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or
- (ii) obtained a "B² certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age and must not have attained the age more than the maximum age specified against the post in the table given below on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised:

| Serial number | Name of the post | Minimum Age | Maximum Age |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Junior Clerk/typist | 18 Years | 35 Years |
| 2 | Salesman | 18 Years | 35 Years |
| 3 | Stenographer Grade-II | 18 Years | 35 Years |
| 4 | Manager Jail Depot | 21 Years | 35 Years |

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. the appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume-II, Part III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of
 vacancies

14. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

15. (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be invited by the Commission in the form published in the advertisement issued by them.

Procedure for
direct recruitment

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regards to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, prepare a list of candidates who come up to the standard fixed by them in this respect.

(4) the Commission shall prepare a list of candidate in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate at the written examination and recommend such number of candidate as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the examination. the Commission shall arrange their names in order of merit on the basis of their general suitability for the service. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

16. (1) Recruitment by promotion to the posts other than the post of Junior Clerk/Typist shall be made on the basis of the criterion laid in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by the Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

Procedure for
recruitment by
promotion to the
posts other than
the post of Junior
Clerk/Typist.

NOTE—Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility lists of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (On Posts Outside the Pruvier of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended from time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such othert records, pertaining them, as may be considered proper :

Provided that where there are two or more feeding cadres—

(a) bearing different pay scales, the candidates belonging to the cadre bearing higher pay scale, shall be placed higher in the eligibility list,

(b) bearing same scale, the names of the candidates shall be arranged in the eligibility list in order of their date of substantive appointment in their respective cadres. But if the date of substantive appointment of two or more candidates is the same, then in such situation the candidate who is older in age shall be placed highet in the eligibility list.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2), and, if It considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

17. Recruitment by promotion to the post of Junior Clerk/Typist shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Praqdes Subordinate Offices Ministerial Group 'C' posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) rules, 2001, as amended from time to time.

Procedure for
recruitment by
promotion to the
post of Junior
Clerk/Typist

Combined select
list

18. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART-VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

19. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 15, 16, 17 or 18, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order referred to in rule 18.

Probation

20. (1) A person on substantive appointment to a post other than the post of Administrative Officer in the Service shall be placed on probation for a period of two years and a person on substantive appointment to the post of Administrative Officer shall be placed on probation for a period of one year.

(2) the appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation in respect of the posts other than the post of Administrative Officer shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years and the period of probation in respect of the post of Administrative Officer shall not be extended beyond six months and in no circumstance beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if—

- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory, and
- (b) his integrity is certified.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

22. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time. Seniority

PART-VII-PAY ETC.

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time. Scale of Pay

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given as follows:-

HEAD QUARTER CADRE

| Serial No. | Name of Post | Scale of pay |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | Senior Administrative Officer | Rs. 6500-200-10500 |
| 2. | Administrative Officer | Rs. 5500-175-9000 |
| 3. | Office Superintendent | Rs. 5000-150-8000 |
| 4. | Senior Assistant | Rs. 4500-125-7000 |
| 5. | Senior Clerk | Rs. 4000-100-6000 |
| 6. | Junior Clerk/Typist | Rs. 3050-75-3950-80-4590 |

JAIL CADRE

| | | |
|----|---------------------------------|--------------------------|
| 1. | Senior Assistant (Central Jail) | Rs. 4500-125-7000 |
| 2. | Senior Clerk | Rs. 4000-100-6000 |
| 3. | Junior Clerk/Typist | Rs. 3050-75-3950-80-4590 |

GOVERNMENT INDUSTRIAL JAIL DEPOT

| | | |
|----|--------------------|--------------------------|
| 1. | Manager Jail Depot | Rs. 4500-125-7000 |
| 2. | Salesman | Rs. 3050-75-3950-80-4590 |

STENOGRAPHER CADRE

| | | |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Personal Assistant Grade-I | Rs. 6500-200-10500 |
| 2. | Personal Assistant Grade-II | Rs. 5500-175-9000 |
| 3. | Stenographer Grade I | Rs. 5000-150-8000 |
| 4. | Stenographer Grade II | Rs. 4000-100-6000 |

24. (1) Notwithstanding any provisions in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent government Service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed. Pay during probation

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, person appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes under hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Schedule Castes, Schedule Tribes and other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in the regard.

By order,

JAGJEET SINGH,

Principal Secretary.